न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

<u>अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या– 862/2026</u>
सिमराहा थाना कांड संख्या– 259/2025

धीरेन ऋषिदेव उर्फ धीरेन्द्र कुमार एवं 01 अन्य ..... आवेदकगण
बनाम
राज्य सरकार

<u>आदेश</u>

<u>30-06-2026</u> आवेदकगण/अभियुक्तगण 1.धीरेन ऋषिदेव उर्फ धीरेन्द्र कुमार, पिता–चंदेश्वरी ऋषिदेव एवं 2.बिरेन्द्र ऋषिदेव, पिता–बुधी ऋषिदेव उर्फ कैलाश ऋषिदेव की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो सिमराहा थाना कांड संख्या– 259/2025, अंतर्गत धारा–191(2), 126(2), 115(2), 132, 303(2), 326(1), 324(4), 324(5), 61(2), 352 भा0न्या0सं0 एवं 8बी नेशनल हाइवे एक्ट से संबंधित है, को आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री कमलदेव ऋषिदेव एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद पु0नि0 प्रेम कुमार भारती के अनुसार यह है कि दिनांक 18.10.2025 को समय 08:10 बजे एम में सूचना मिली की एनएच 27 अररिया मिशन स्कूल के पास एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु व दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचना के सत्यापन में सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचा, तब तक काफी संख्या में भीड़ जमा हो गया। भीड़ द्वारा मृतक शव को एनएच 27 अररिया व फारबिसगंज वाले रास्ते रखकर दोनों तरफ का एनएच जाम कर दिया, जिससे जाम लग गया। पुलिस बल व पदाधिकारी द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया, परंतु वे लोग नहीं मान रहे थे, वे लोग पैसा व मुआवजा, नौकरी की मांग कर रहे थे। उसी भीड़ में कुछ लोगों द्वारा उकसाने लगे पुलिस द्वारा काफी समझाया गया, परंतु 3 उपद्रवियों द्वारा सड़क के दोनों तरफ टायर व लकड़ी जमा कर सड़क पर आग लगा दिया। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। तत्पश्चात उपद्रवियों का पहचान किया गया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदकगण के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय

पटना में दाखिल किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को गलत तरीके से इस वाद में फंसाया गया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत एवं मनगढ़ंत है। आवेदकगण घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और वे लोग मजदूरी करने बाहर गये थे, किंतु ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण की इस घटना में कोई संलिप्तता नहीं है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रासंगिक कांड की प्राथमिकी आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 191(2), 126(2), 115(2), 132, 303(2), 326(1), 324(4), 324(5), 61(2), 352 भा0न्या0सं0 एवं 8बी नेशनल हाइवे एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी के पारा 92 में आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदकगण पर सामूहिक रूप से आरोप लगाया गया है कि इनलोगों ने दुर्घटना से उग्र होकर नेशनल हाइवे पर जाम किया तथा पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार किया। अभिलेख या कांड दैनिकी के साथ जख्म प्रतिवेदन संलग्न नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन इस शर्त के साथ **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदकगण को आदेश प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर गिरफ्तार होने अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर रू 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करने पर एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों के अनुपालन करने पर, आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(शशि भूषण कुमार)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।